पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 334/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 28.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

थाना जहानागंज

दिनांक 17.10.2024 व दिनांक 23.10.2024 को शराब की दुकान पर मारपीट कर लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार , घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा व मोटरसाइकिल तथा लूट का सामान बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡दिनांक 17.10.2024 को रात्रि के लगभग 01.00 बजे को वादी सूरज गुप्ता पुत्र स्व0 जगदम्बा गुप्ता निवासी मुण्डा थाना सिधारी आजमगढ़ व राजनाथ यादव S/O स्व0 शिवमंगल निवासी मडियापार थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी व उसके साथ आये राजनाथ यादव का बबुरा में क्रमशः अंग्रेजी शराब व वीयर की दुकान है जिसके सेल्समैन द्वारा रात्रि मे लघुशंका के लिये बाहर जाने पर 03 बदमाशो के द्वारा कट्टे के दम पर वीयर की दुकान के सेल्समैन राम प्रवेश यादव से 4800 रूपये नगदी, 03 पेटी वीयर तथा शोरगुल होने पर अंग्रेजी शराब के शेल्समैन चन्द्रजीत यादव बीच बचाव करने आया जिससे अभियुक्तों द्वारा कट्टे के दम पर 28000 रूपया नगदी, चार बोतल शराब, दो पौवा शराब, ATM, चेक बुक, आधार, कपड़ा आदि छीन लिया गया तथा पैसा ढूँढने के चक्कर मे स्कैनर मशीन को पटककर तोड़ दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 544/24 धारा 309(4),333,324(4),351(2) BNS बनाम 03 अज्ञात बदमाश मोटर साइकिल सवार के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना संपादित किया जा रहा है।

➡दिनांक 23.10.2024 की रात्रि को समय लगभग 12.30 बजे वादी अजयदीप यादव पुत्र लालमन यादव ग्राम रामपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के गोधौरा स्थित विदेशी शराब की दुकान पर सेल्समैन अवीनाश सिंह से अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीटकर दुकान की बिक्री का 25000 रूपया, दुकान मे से 35 पौवा , 180 एमएल फ्रूटी, व 6 अद्धा शराब छीनकर फायर करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जिसके संबंध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 554/24 धारा 309(6),333,351(2)BNS बनाम अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 28.10.24 को प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली की थाना क्षेत्र मे घटित मारपीट व लूट की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त किसी अन्य घटना को अंजाम देने हेतु सठियाव की तरफ से बजहाँ पुलिया की तरफ आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस वहाँ पहुँची जहाँ थोडी देर में दो मोटर साइकिल आता हुआ दिखाई दिया जिन्हे रूकने के लिए पुलिस द्वारा इशारा किया गया लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया जाने लगा जिससे बचाव हेतु पुलिस द्वारा सिखलाये गये तरीके से जवाबी फायर किया गया जिसपर पहले मो0सा0 पर बैठे दो ब्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया व दूसरे मोटर साइकिल पर सवार बदमाश जिस पर तीन ब्यक्ति बैठे थे, खुद को फसता हुआ देख गाड़ी मोड़ भागना चाहे की गाड़ी अनियन्त्रित हो गई और पीछे बैठे दो बदमाश गिर पड़े, जिनको मौके से पुलिस बल द्वारा समय सुबह लगभग 05.25 बजे पकड़ लिया गया तथा मोटर साइकिल सवार चालक बदमाश गाड़ी को मोड़ कर भाग गया।

➡मौके पर पुलिस द्वारा कुल 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी व 01 अभियुक्त भागने में सफल रहा।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 557/24 धारा 109, 3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- हिरासत में लिये गये अभियुक्तों से पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना नाम 1. रामरतन उर्फ गोलू पुत्र महेश राम निवासी पटहुआ सठिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 2. श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम निवासी बड़कापुरा छठियाव थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 3. अजय राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष (हिस्ट्रीशीटर) 4. आशीष राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष बताया गया। अभियुक्तों से भागे हुए अभियुक्त के बारे में पूँछने पर अभियुक्त दीपक गौड पुत्र श्यामप्यारे उर्फ रामप्यारे गौड निवासी ब्रम्हस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो एक हिस्ट्रीशीटर है का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तार अभियुक्तों से और अधिक पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा दिनांक 17.10.2024 व 23.10.2024 की रात्रि को थाना जहानागंज क्षेत्र में शराब की दुकानों पर हुए लूट में संलिप्तता को स्वीकारा गया।

गिरफ्तारी अभियुक्त:-

1.रामरतन उर्फ गोलू पुत्र महेश राम निवासी पटहुआ सठिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ जनपद आजमगढ़।

2.श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम निवासी बड़कापुरा छठियाव थाना मुबारकपुर आजमगढ़।
3.अजय राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ।
4.आशीष राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त रामरतन उर्फ गोलू पुत्र महेश राम निवासी पटहुआ सठिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 243/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0स0 554/24 धारा 309(6),333,351(2)BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0स0 557/24 धारा 109, 3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2. अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम निवासी बड़कापुरा छठियाव थाना मुबारकपुर आजमगढ़

1. मु0अ0स0 554/24 धारा 309(6),333,351(2)BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 557/24 धारा 109, 3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

3.अभियुक्त अजय राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ(हिस्ट्रीशीटर)

1. मु0अ0सं0 26/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
2.मु0अ0सं0 65/23 धारा 392/411/413 भादवि थाना सरायलखन्शी जनपद मऊ
3.मु0अ0सं0 167/23 धारा 392/411/413 भादवि थाना सरायलखन्शी जनपद मऊ
4.मु0अ0सं0 191/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरायलखन्शी जनपद मऊ
5. मु0अ0स0 554/24 धारा 309(6),333,351(2)BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
6.मु0अ0स0 544/24 धारा 309(4),333,324(4),351(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
7.मु0अ0स0 557/24 धारा 109, 3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

4.अभियुक्त आशीष राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ

1.मु0अ0स0 544/24 धारा 309(4),333,324(4),351(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 557/24 धारा 109, 3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. अभियुक्त रामरतन उर्फ गोलू पुत्र महेश राम निवासी पटहुआ सठिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के पास से

1 तमंचा 315 बोर, 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1400 रूपया लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पेलेन्डर प्लस UP 50 BN 7427 (जिसके डिग्गी में लूट का 4 बियर किंगफिसर, 4 फ्रुटी 8 पीएम, 1 अधार कार्ड, 1 लाईसेन्श की फोटो कापी , 1 सीसीटीवी कैमरा , 1 डीवीआर)

2. अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम निवासी बड़कापुरा छठियाव थाना मुबारकपुर आजमगढ़ से

01 पिस्टल 32 बोर , 1 जिन्दा कारतूस 32 बोर , 1 खोखा कारतूस 32 बोर व 3400 रूपया

3. अभियुक्त अजय राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ से

1 315 बोर देशी तमंचा , 1 जिन्दा कारतूस ,1 खोखा कारतूस 315 बोर , 1 मोबाईल वीवो कम्पनी का व 5600 रूपया

4.अभियुक्त आशीष राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ से

1 देशी तमंचा 315 बोर , 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर , व 800 रूपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।
2. उ0नि0 आदित्य सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।
3.उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ।
4.उ0नि0 सुधांशु मिश्रा मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।
5.उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।
6.उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना जहानागंज जनपद-आजमगढ़

02.थाना सिधारीः- जमीनी विवाद में कैंची से मारकर हत्या करने वाले वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार; हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 01 चाकू, 01 कैंची व 01 लकड़ी का पाटी बरामद।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.10.2024 को वादी फकीर चौधरी पुत्र सम्भल चौधरी सा0 मुहल्ला सिधारी चौबाना , थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मय शीला चौधरी पुत्री फकीर चौधरी ,अंशु चौधरी पुत्री छोटेलाल , बंशीलाल व छोटेलाल पुत्रगण स्व0 सम्भल निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि प्रतिवादी 1. छोटू चौबे पुत्र प्रदीप चौबे निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2. प्रमोद चौबे पुत्र स्व0 संकठा चौबे निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3. प्रदीप चौबे पुत्र स्व0 संकठा चौबे निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 4. मिथिलेश चौबे पुत्र स्व0 संकठा चौबे निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 5. सिंकू चौबे पुत्र प्रमोद चौबे निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 6. मुन्नी चतुर्वेदी पत्नी मिथिलेश चतुर्वेदी निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 7. नेहा पुत्री मिथिलेश चतुर्वेदी निवासी सिधारी चौबाना थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा धारधार हथियार से वादी के लड़के दीपू चौधरी को मारपीट कर हत्या कर दिया गया एवं वादी की पुत्री शीला चौधरी व अँशु चौधरी पुत्री छोटेलाल व भाई बंशीलाल व छोटेलाल को धारधार हथियार से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0415/24 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190/118(1)/115(2)/109 बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 SC/ST ACT बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 07 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- ➡दिनांक 27.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व0 संकठा प्रसाद चतुर्वेदी उम्र करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम मुहल्ला चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ 2.पियूष चतुर्वेदी उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप चतुर्वेदी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मुहल्ला चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ को **हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 01 चाकू, 01 कैंची व 01 लकड़ी का पाटी चपटदार के साथ** गिरफ्तार किया गया।

जिसके क्रम में-

➡आज दिनांक 28.10.2024 प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता 1. मुन्नी चतुर्वेदी पत्नी मिथिलेश चतुर्वेदी उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मुहल्ला चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ 2. नेहा चतुर्वेदी पुत्री मिथिलेश चतुर्वेदी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम मुहल्ला चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ को नया पुल कस्बा सिधारी से समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना बरदहः- चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः–

➡ दिनांक 27.10.24 को वादिनी प्रमशीला पत्नी किसुन निवासी ग्राम छत्तरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी का टुल्लू लगभग 10 दिन पहले चोरी हो गया था वादिनी द्वारा काफी पता करने के बाद वादिनी को पता चला कि टुल्लू की चोरी वादिनी के गाँव के ही किशन उर्फ करिया पुत्र हरि राम ग्राम छतरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा किया गया था। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 22.08.24 को वादिनी सुमन पत्नी विजय राजभर ग्राम-कुड़िहर, थाना-बरदह,जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 13/08/24 को वादिनी अपने घर से मायके रक्षा-बंधन के लिए गयी थी और दिनांक 21/08/24 को 3.30 बजे दोपहर अपने घर आयी तो वादिनी द्वारा देखा गया कि देखा घर में अन्दर कमरे में घुसकर किसी व्यक्ति द्वारा कमरे में रखा लोहे का बक्सा व अटैची में रखा 01 सोने का लाकेट, 01 चाँदी की करधनी, 05 जोड़ी विछिया व 5000 हजार रुपया नकद व कपड़े आदि चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 272/24 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 16.06.24 को वादी राधेश्याम यादव पुत्र विक्रमाजीत निवासी ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.06.2024 को वादी के खेत में लगे डीजल पम्प के पंखे को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः–

दिनांक 28.10.24 को उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त किशन उर्फ करिया पुत्र हरि राम ग्राम छतरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को चोरी के टुल्लू व कुल 1600 रूपये के साथ त्रिवेणी मोड से समय करीब 06.40 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बतायाय गया कि चोरी किया गया टुल्लू अभी उसके पास है व अभियुक्त से और अधिक पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दोनों चोरी की घटनाओं को कारित किया जाना स्वीकारा गया। चोरी किये गये सामान के बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा चोरी के सामान को जौनपुर में किसी अज्ञात कबाडी को बेचने की बात कही गयी।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 338/2024 धारा 303,317 (2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 272/2024 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 197/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बरदह, आजमगढ़

04.थाना अहरौला:- नाजायज गाँजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनाँक 27.10.2024 को उ0नि0 श्याम कुमार दूबे मय हमराह द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र बागीशदत्त तिवारी निवासी ग्राम पाती (धनेश पाण्डेय) थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 50 वर्ष को मंगारीपुर पुलिया से समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को कब्जे से 400 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 460/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास:–

1.मु0अ0सं0 601/2012 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 460/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

05.थाना सरायमीर:- मारपीट व छेडखानी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.10.2024 को वादिनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि रात्रि के लगभग 8.00 बजे रवि चौहान पुत्र लालजीत चौहान सा0 नोनारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा शराब पीकर वादिनी के घर में घुसकर गन्दी-गन्दी गाली वादिनी के साथ छेड़खानी करने लगा जिसका विरोध करने पर वादिनी के बच्चों को मारापीटा जिसकी शिकायत अभियुक्त के घरवालों से करने पर अभियुक्त के घर वाले वादिनी से मारपीट व गाली-गलौज पर उतारू हो गये तथा वादिनी के घर में घुसकर सारा-सामान तोड- फोड कर फेंक दिये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 548/24 धारा 75/115(2)/352/324(2)/333 बीएनएस बनाम 04 नफर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:–

आज दिनांक 28.10.2024 को उ0नि0 बासुदेव साहनी मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि चौहान पुत्र लालजीत चौहान सा0 नोनारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को छित्तेपुर बाजार से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

06.थाना मुबारकपुरः- आत्महत्या के दुष्प्रेरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 27.10.2024 को वादी श्यामलाल प्रजापति पुत्र खेदू प्रजापति निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा तहरीर दिया गया कि वादी द्वारा अपनी पुत्री(पीड़िता) की शादी दिनांक 27.02.2010 को संतोष प्रजापति पुत्र बांकेलाल प्रजापति निवासी मुहल्ला नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के साथ किया गया जहाँ वादी के पुत्री के सास-ससुर द्वारा उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके कारण वादी के पुत्री द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 429/2024 धारा 85/108 BNS बनाम संतोष प्रजापति पुत्र बांकेलाल प्रजापति निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः–

आज दिनांक 28.10.2024 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संतोष प्रजापति पुत्र बांकेलाल प्रजापति निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 37 वर्ष (पति) को अमिलो पानी टंकी के पास से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

07.थाना कंधरापुरः- धोखाधडी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी श्यामदुलारी पत्नी नन्हकू राम साकिन गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद-आजमगढ द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी को फर्जी तरीके से नाम बदलकर अपना जमीन बताकर बैनामा दिखाकर दिनांक 05.01.2023 को वादिनी के नाम बैनामा कर दिया। लेकिन जब प्रार्थिनी अपनी बैनामा शुदा जमीन पर घर बनाने गयी तो वहां राजेन्द्र सिंह द्वारा रोका गया और अपना सन् 2000 में उसी जमीन का बैनामा दिखाया गया। प्रार्थिनी के पुत्र द्वारा जमीन के एवज में खाते से रु0 800000.00(आठ लाख) तथा 800000.00(आठ लाख रुपया नगद) अभियुक्तों को दिया गया। जिसे वादिनी द्वारा अभियुक्तों से वापस माँगे जाने पर अभियुक्तों द्वारा पैसा व जमीन दोनों दिये जाने से मना कर दिया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 मु0अ0सं0 32/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 बनाम अभियुक्तों 1. सोनू कुमार पुत्र राजेन्द्र राम, साकिन-भितरी 2. राजेश राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर साकिन व पोस्-नेवादा 3. राहुल पुत्र वृजभान यादव साकिन-प्रतापपुर रामपुर कटया पावर जीम के पास महराजगंज 4. बृजभान यादव पुत्र रामनिहोर यादव साकिन-प्रतापपुर रामपुर कटया पावर जीम के पास महराजगंज 5. रामलखन मिश्रा पुत्र स्व0 शिवमूरत मिश्रा ग्राम-चाँदपुर अखरचंन्दा थाना-महराजगंज के विरुद्ध दिनांक 14.02.2023 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त अगर्दी यादव पुत्र जगदेव निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज उम्र 78 वर्ष का नाम प्रकाश में पाया आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 28.10.2024 को प्र0नि0 रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अगर्दी यादव पुत्र जगदेव निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज हा0मु0 शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 78 वर्ष को मन्दुरी तिराहे समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।